फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री नारायण जोशी बनाम विपक्षी : श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर व अन्य

किस्म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या [illegible]

क्रमांक	कार्यवाही विवरण

दिनांक : 03.04.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दस्तावेज पेश किये गये। शामिल फाईल रहे। तहसीलदार भीण्डर द्वारा पृथक से जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहा व रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया। प्रकरण मे बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण मे अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम लखमीचन्द पुत्र उम्मेदा अंकित है जबकि प्रार्थी का सही नाम नारायण पुत्र उम्मेदा है। यह कि प्रार्थी के पिता उम्मेदा की मृत्यु होने पर विरासत के नामान्तरण के समय गलती से प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड मे नारायण पुत्र उम्मेदा के स्थान पर लखमीचन्द पुत्र उम्मेदा अंकित हो गया जिसे संशोधित कर लखमीचन्द पुत्र उम्मेदा के स्थान पर नारायण पुत्र उम्मेदा किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण मे तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें बताया कि ग्राम तलाई के वर्तमान खाता संख्या 6 खसरा सं. 71, 72 किता 2 रकबा 0.4300 है एव खाता संख्या 40 आराजी न. 243 रकबा 0.35 है. मे प्रार्थी का नाम लखमीचन्द पिता उम्मेदराम ब्रा. सा. देह के नाम से शामलाती खाता दर्ज रिकार्ड है एवं ग्राम खुमानपुरा के खाता सख्या 09 आ.न. 240 किता 5 रकबा 0.8700 है. मे लखमीचन्द पिता उम्मेदा 1/6 ब्रा. सा. तलाई के नाम से दर्ज रिकॉड है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा बताया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, बैक पास बुक, बिजली बिल, मुल निवास प्रमाण पत्र मे प्रार्थी का नाम नारायण पिता उम्मेदा ब्रा. ही है जबकि प्रार्थी के राजस्व रेकर्ड में नारायण पिता उम्मेदा के बजाय लखमीचन्द पिता उम्मेदा नाम सहवन से दर्ज रेकर्ड हो गया। प्रार्थी के अन्य राजस्व रेकर्ड ग्राम तलाई के वर्तमान खाता सं. 56 आ.न. 392 रकबा 0.0300 है. एवं खाता सं. 57 आराजी न. 283 किता 35 रकबा 5.6800 है. एवं खाता सं. 58 आ.न. 280 किता 5 रकबा 0.4400 है. मे प्रार्थी का वास्तविक नाम नारायण पिता उम्मेदा ब्रा. ही दर्ज रेकर्ड है जबकि ग्राम तलाई के वर्तमान खाता सं. 06 आ.न. 71, 72 किता 02 रकबा 0.4300 है. एवं खाता संख्या 40 आ.न. 243 रकबा 0.3500 है. एवं ग्राम खुमानपुरा के वर्तमान खाता सं. 09 आ.न. 240 किता 05 रकबा 0.8700 है. में प्रार्थी के वास्तविक नाम नारायण पिता उम्मेदा के बजाय सहवन से लखमीचन्द पिता उम्मेदा नाम दर्ज हो गया है। ग्राम तलाई मे लखमीचन्द पिता उम्मेदा का नाम का कोई व्यक्ति नही है एवं नारायण पिता उम्मेदा व लखमीचन्द पिता उम्मेदा नाम का एक ही व्यक्ति है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा वर्तमान खाता सं. 06 आ.न. 71, 72 किता 2 रकबा 0.4300 है. एव खाता संखया 40 आ.न. 243 रकबा 0.35 है. एवं खुमानपुरा के वर्तमान खाता संख्या 09 आ.न. 240 किता 5 रकबा 0.8700 है. में प्रार्थी का नाम लखमीचन्द पिता उम्मेदा के बजाय नारायण पिता उम्मेदा दर्ज किया जाना अपेक्षित बताया।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड की प्रति, मुल निवास प्रमाण पत्र की प्रति व कार्यालय ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र की प्रति पेश की। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया की नारायण पिता उम्मेदा एवं लखमीचन्द उम्मेदा एक ही व्यक्ति हैं व प्रार्थी का नाम संशोधित किया जाना प्रस्तावित किया। अतः उपरोक्त विवेचन व तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा तलाई पटवार हल्का बग्गड तहसील भीण्डर की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 6, 40 व मौजा खुमानपुरा पटवार हल्का बग्गड तहसील भीण्डर की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 9 मे प्रार्थी का नाम लखमीचन्द पुत्र उम्मेदा/उम्मेदराम जाति ब्राह्मण के बजाय नारायण पुत्र उम्मेदा जाति ब्राह्मण दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष बदस्तुर रहें। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:22:10 IST
Reason: SelfAttested